

कार्यकारी सारांश
के लिये
सिमटोली (मौंदर) सोपस्टोन खदान परियोजना
पर
गाँवः सिमटोली (मौंदर),
तहसील और जिला: बागेश्वर,
उत्तराखण्ड
क्षेत्रः ११.२५१ हेक्टेयर,
प्रस्तावित क्षमता: 22,755 टीपीए (अधिकतम)

परियोजना प्रस्तावक
श्री. भूपेंद्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी
ग्राम - बागनाथ वार्ड, तहसील - बागेश्वरी
जिला- बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

कार्यकारी सारांश

1.0 परिचय

1.1 रिपोर्ट का उद्देश्य

श्री. भूपेंद्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी ने ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील और जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड में 11.251 हेक्टेयर [22, 755 टीपीए (अधिकतम) सोपस्टोन के क्षेत्र में विस्तार करने वाले सोपस्टोन खदान का प्रस्ताव रखा है। एसईएसी ने 3 फरवरी, 2021 की अपनी बैठक में प्रस्ताव की जांच की। चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, एसईएसी द्वारा यह सूचित किया गया है कि ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा अनुमोदित टीओआर के अनुसार तैयार किया जाएगा और उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श के बाद अंतिम ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट जन सुनवाई को शामिल करने के बाद प्रस्तुत की जाएगी। पर्यावरण मंजूरी के लिए एसईआईएए, उत्तराखण्ड को विवरण।

पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट का प्रारूप पर्यावरण एवं पर्यावरण मंत्रालय की दिनांक 14 सितंबर, 2006 की ईआईए अधिसूचना के तहत संदर्भ की मानक शर्तों (टीओआर) का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है और इसमें संशोधन किया गया है।

1.2 परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान

1.2.1 परियोजना की पहचान

यह परियोजना ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील एवं जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड में श्री. भूपेंद्र जोशी।

प्रस्तावक का पता नीचे दिया गया है:

श्री. भूपेंद्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी

ग्राम – बागनाथ वार्ड, तहसील – बागेश्वरी

जिला- बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावक ने ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील एवं जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड में 11.251 हेक्टेयर क्षेत्र में सिमटोली (मौंधर) सोपस्टोन खदान परियोजना के नाम पर खनन पट्टे के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया है।

1.2.2 परियोजना प्रस्तावक

प्रस्तावित खदान एक निजी कंपनी है। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील और जिला: बागेश्वर, उत्तराखण्ड में 11.251 हेक्टेयर [22, 755 टीपीए (अधिकतम) सोपस्टोन के क्षेत्र में फैली हुई है। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान का एलओआई श्री के पक्ष में दिया गया था। भूपेंद्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी सरकार द्वारा 50 वर्ष की अवधि के लिए। उत्तराखण्ड के। सोपस्टोन के उत्पादन की प्रस्तावित दर 22755 टीपीए (अधिकतम) है। अनुमानित परियोजना लागत 30.0 लाख रुपये है। मेरा अपेक्षित जीवन 50 वर्ष है।

आवेदक का पता

श्री. भूपेंद्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी

ग्राम – बागनाथ वार्ड, तहसील – बागेश्वरी

जिला- बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

2.0 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

2.1 परियोजना की प्रकृति

प्रस्तावित सोपस्टोन खदान, परियोजना में ओपनकास्ट मैनुअल सह सेमी मैकेनाइज्ड पद्धति अपनाई जाएगी। 22,755 टीपीए सोपस्टोन के उत्पादन के लिए खदान को लगभग 11.251 हेक्टेयर के पट्टे क्षेत्र में निष्पादित किया जाता है।

इसलिए 15 जनवरी, 2016 और 1 जुलाई, 2016 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार, परियोजना "बी1" श्रेणी के अंतर्गत आती है क्योंकि क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक है।

2.2 परियोजना का आकार

प्रस्तावित सोपस्टोन खनन परियोजना 11.251 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका लक्ष्य अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 22,755 टीपीए (अधिकतम) सोपस्टोन है।

2.3 परियोजना का प्रत्याशित जीवन और परियोजना की लागत

खदान का अनुमानित जीवन 50 वर्ष है। परियोजना की लागत करीब सवा करोड़ रुपये है। 30.0 लाख।

2.4 परियोजना का स्थान

प्रस्तावित सोपस्टोन खदान पट्टा ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील और जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड के अंतर्गत आता है। भौगोलिक दृष्टि से ML क्षेत्र अक्षांश $29^{\circ}48'14.08"N$ से $29^{\circ}48'27.39"N$ और देशांतर $79^{\circ}50'18.88"E$ से $79^{\circ}50'29.80"E$ तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र सर्वे ऑफ इंडिया की टॉपो शीट नंबर 53 ओ/13 में आता है।

2.5 परियोजना विवरण

2.5.1 खान पट्टा की मुख्य विशेषताएं

खान पट्टा की मुख्य विशेषताएं नीचे तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1: खान पट्टा क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं

Sr. No.	Particular	Details
A.	परियोजना की प्रकृति	सोपस्टोन खनन ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील एवं जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड में प्रस्तावित सिमटोली (मौंधर) सोपस्टोन खदान परियोजना (क्षेत्रफल: 11.251 हेक्टेयर) श्री. भूपेंद्र जोशी
1.	एमएल क्षेत्र	11.251 हे.
2.	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	सोपस्टोन की कुल वसूली योग्य मात्रा:
3.	खान की लीज अवधि	22, 755 टन/वार्षिक (अधिकतम)
C.	खनन की विधि	
1.	तरीका	लीज 50 साल की अवधि के लिए दी गई थी।
2.	ब्लास्टिंग / ड्रिलिंग	खनन की विधि
D.	परियोजना स्थल	
1.	गाँव	सिमटोली (मौंधर),
2.	तहसील	बागेश्वर
3.	जिला	बागेश्वर
4.	राज्य	उत्तराखण्ड
5.	टोपो शीट नं।	53ओ/13
6.	पट्टा क्षेत्र निर्देशांक	Latitude : 29°48'14.08"N to 29°48'27.39"N Longitude: 79°50'18.88"E to 79°50'29.80"E
E.	लागत विवरण	
1.	लागत विवरण	30
F.	पानी की मांग	
1.	आवश्यकता	10.0 केएलडी
2.	जल का स्रोत	आसपास के गांव और प्राकृतिक झरने।
G.	मानव शक्ति की आवश्यकता	46
H.	पर्यावरण सेटिंग	
1.	निकटतम गांव	सिमटोली (मौंधर),
2.	निकटतम शहर	बागेश्वर, 8 किमी (हवाई)
3.	निकटतम राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग	बागेश्वर -Dafaut Road, 0.200 km मीटर (एरियल)
4.	निकटतम रेलवे स्टेशन	काठगोदाम, 66 किमी (हवाई)
5.	निकटतम हवाई अड्डा	पिथौरागढ़, 44 किमी (हवाई)
6.	पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि) 10 किमी के	खुलदोरी बलदोरी रिजर्व फॉरेस्ट
7.	खदान स्थल के 10 किमी के दायरे में	सरयू नदी – 4.0 किमी (हवाई)
8.	पुरातत्व महत्वपूर्ण स्थान	कोई नहीं

ग्राम सिमटोली (मौंधर), तहसील एवं जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड में प्रस्तावित सिमटोली (मौंधर) सोपस्टोन खदान परियोजना (क्षेत्रफल: 11.251 हेक्टेयर) श्री. भूषेंद्र जोशी	कार्यकारी सारांश
---	------------------

9.	भूकंपीय क्षेत्र	5
----	-----------------	---

2.5.2 खान विकास और उत्पादन

खदान को अनुबंध पर जेसीबी उत्खनन का उपयोग करते हुए ओपनकास्ट अर्ध-मशीनीकृत विधि द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है (डीजीएमएस और अन्य से सभी वैधानिक अनुमति की आवश्यकता होगी)। उत्खनन के माध्यम से ओवरबर्डन और इंटरबर्डन को हटाया जाएगा। सोपस्टोन को उत्खनन के साथ-साथ मैन्युअल रूप से कौवा बार, छेनी, पिकेक्स, हथौड़े और कुदाल जैसे हाथ के औजारों की मदद से निकाला जाएगा। वर्षवार उत्पादन विवरण नीचे तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका 2: सोपस्टोन खदान का वर्षवार उत्पादन

YEAR	PIT-I (TONNES)	PIT-II (TONNES)	TOTAL PRODUCTION SOAPSTONE (TONNES)
FIRST	6994	3120	10,114
SECOND	10106	3318	13,424
THIRD	11594	3580	15,174
FOURTH	13752	5088	18,840
FIFTH	18293	4462	22,755
TOTAL	60739	19568	80,307

अगले पांच वर्षों के दौरान गड्ढे से उत्पन्न होने वाली मिट्टी की मात्रा नीचे तालिका 3 में दी गई है:

तालिका 3: सोपस्टोन खदान की ऊपरी मिट्टी की मात्रा और अधिक भार PIT-I

YEAR	TOP SOIL (CUM)	INTERBURDEN (CUM)
FIRST	1252	4248
SECOND	978	6138
THIRD	934	7040
FOURTH	1938	8352
FIFTH	1053	11109
TOTAL	6155	36887

PIT-II

YEAR	TOP SOIL (CUM)	INTERBURDEN (CUM)
FIRST	591	1895
SECOND	281	2015

THIRD	584	2174
FOURTH	449	3090
FIFTH	454	2710
TOTAL	2359	11884

2.5.3 खनन की विधि

खदान को अनुबंध पर जेसीबी उत्खनन का उपयोग करते हुए ओपनकास्ट अर्ध-मशीनीकृत विधि द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है (डीजीएमएस और अन्य से सभी वैधानिक अनुमति की आवश्यकता होगी)। उत्खनन के माध्यम से ओवरबर्डन और इंटरबर्डन को हटाया जाएगा। सोपस्टोन को उत्खनन के साथ-साथ मैन्युअल रूप से कौवा बार, छेनी, पिकैक्स, हथौड़े और कुदाल जैसे हाथ के औजारों की मदद से निकाला जाएगा।

खनिज को बैगों में पैक किया जाएगा और मैन्युअल/खच्चर (खाचर) से एरियल रोपवे प्वाइंट (इनलेट प्वाइंट) तक पहुंचाया जाएगा और जहां से इसे एरियल रोपवे द्वारा रोड हेड/रोड हेड के पास ले जाया जाएगा, फिर रोड हेड से ट्रकों द्वारा मुख्य बाजार हल्द्वानी तक खनिज का परिवहन किया जाता है। खनन कार्यों के दौरान ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की आवश्यकता/प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। सोपस्टोन को हाथ से तैयार किया जाएगा और अलग से स्टैक किया जाएगा। पहले पांच वर्षों के दौरान कोई और लाभ नहीं लिया जाएगा। खनन दो गड्ढों में किया जाएगा। बैंचों का फेस स्लोप 70° और समग्र पिट स्लोप 45° होना चाहिए।

2.5.4 भूमि उपयोग पर प्रभाव, खनन किए गए क्षेत्रों का सुधार और वनरोपण कार्यक्रम

खनन किए गए क्षेत्रों के भूमि उपयोग और पुनर्ग्रहण पर प्रभाव

ओपनकास्ट खनन गतिविधियां पट्टा क्षेत्र के परिदृश्य को बदल सकती हैं और आसपास के क्षेत्रों की सतह की विशेषताओं में कुछ गड़बड़ी भी पैदा कर सकती हैं। 7.5 मीटर सेफ्टी बैरियर छोड़कर खनन किया जाएगा।

जहां भी संभव होगा, जिला प्रशासन/स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से वृक्षारोपण का विकास किया जाएगा।

मौजूदा भूमि उपयोग पैटर्न कृषि भूमि है। भूमि के स्वरूप या भू-आकृति पर प्रभाव पहाड़ी भू-भाग पर भूमि के उपयोग से खुले खनन के कारण आमूल-चूल परिवर्तन से गुजरेगा। अगले पांच वर्षों के दौरान खनन और संबद्ध गतिविधियों के कारण 1.367 हेक्टेयर भूमि का क्षरण होगा।

खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि के पुनरुद्धार का प्रस्ताव:

खनन उच्च स्तरों से शुरू होगा और निचले स्तरों की ओर बढ़ेगा। रुक-रुक कर बैकफिलिंग उच्च स्तरों से शुरू होगी और बाद में निचली ऊंचाई की ओर बढ़ेगी ताकि सीढ़ीदार कृषि क्षेत्र इस तरह से शुरू हो सके कि मूल भूमि उपयोग बहाल हो जाए यानी मानसून की शुरुआत से पहले खेती के लिए काश्तकारों को सौंप दिया जाएगा। अंतिम बैंच बनने के बाद अंतिम बैकफिलिंग शुरू कर दी जाएगी और गड्ढा इष्टतम आर्थिक गहराई तक पहुंच जाएगा। खनिज की समस्त वसूली बिक्री योग्य श्रेणी की होगी।

स्थानीय डीएफओ/कृषि के परामर्श से खनन पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के साथ 7.5 मीटर बैरियर क्षेत्र में एमएल क्षेत्र, बैकफिल्ड और पुनः प्राप्त क्षेत्र, जल निकाय, सड़कों, वैन पंचायत भूमि आदि के आसपास देशी प्रजातियों को लगाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। विभाग। वर्षावार वृक्षारोपण का विवरण तालिका 4 में दिखाया गया है।

तालिका 4: वर्षावार वनरोपण अनुसूचित

Year	Area (ha)	No of saplings
First year	0.2058	60
Second year	0.2058	60
Third year	0.2058	60
Fourth year	0.2058	60
Fifth year	0.2058	60
Total	1.029	300*

- वर्षावार पौधरोपण के अलावा वन पंचायत एवं वन भूमि में संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेकर पांच वर्ष में 11000 पौधे लगाए जाएंगे।
-
- 2.6 भूमि उपयोग पैटर्न
- वर्तमान में (पूर्व-खनन) खदान पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है।
-
- 2.7 आधारभूत पर्यावरणीय स्थिति
- 2.7.1 मिट्टी की गुणवत्ता
- क्षेत्र की वर्तमान मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए खान पट्टा क्षेत्र में और उसके आसपास मिट्टी के पांच नमूने एकत्र किए गए थे। अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी के पीएच में भिन्नता 77.43 से 7.71 तक थोड़ी बुनियादी पाइ गई। विद्युत चालकता (ईसी) मिट्टी में घुलनशील लवण और आयनिक गतिविधि का एक उपाय है। एकत्रित मिट्टी के नमूनों में चालकता 260 - 435 $\mu\text{mhos/cm}$ से लेकर थी। परिणामों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्रोत से दूषित नहीं है।
-
- 2.7.2 मौसम विज्ञान
- सर्दियों के मौसम का प्रतिनिधित्व करते हुए दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान साइट पर मौसम संबंधी आंकड़ों की निगरानी की गई।
- 2.7.3 परिवेशी वायु गुणवत्ता
- दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक सर्दियों के मौसम के दौरान पांच स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (एएक्यूएम) की गई है।
- अध्ययन क्षेत्र में पीएम10 का न्यूनतम और अधिकतम स्तर 41.7 माइक्रोग्राम/घनमीटर से 63.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर के बीच दर्ज किया गया। अध्ययन क्षेत्र में पीएम2.5 का न्यूनतम और

अधिकतम स्तर 16.2 माइक्रोग्राम/घनमीटर से 28.2 माइक्रोग्राम/घनमीटर के बीच दर्ज किया गया। अध्ययन क्षेत्र में SO₂ की न्यूनतम और अधिकतम सांद्रता 5.4 से 8.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। अध्ययन क्षेत्र में दर्ज किया गया NO₂ का न्यूनतम और अधिकतम स्तर 7.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 17.3 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के बीच था।

- इस प्रकार प्राप्त परिणामों से संकेत मिलता है कि परिवेशी वायु में PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ और NO₂ की सांद्रता औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता (NAAQ) मानकों के भीतर है।
- 2.7.4 पानी की गुणवत्ता
- क्षेत्र में पानी के भौतिक और रासायनिक गुणों का आकलन करने के लिए, 5 स्थानों से भूजल के नमूने और 3 स्थानों से सतही जल के नमूने खान पट्टा क्षेत्र के आसपास के विभिन्न जल स्रोतों से एकत्र किए गए थे।
- आईएस-10500:2012 मानकों के अनुसार पीने के पानी के नमूनों के लिए निर्धारित पीएच सीमा 6.5 से 8.5 है इस सीमा से अधिक पानी श्लेष्म डिल्ली या जल आपूर्ति प्रणाली को प्रभावित करेगा। अध्ययन अवधि के दौरान, भूजल के लिए पीएच 7.38 से 7.64 तक और सतही जल 7.55 से 7.82 तक भिन्न था। अध्ययन अवधि के दौरान अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किए गए सभी नमूनों का पीएच मान सीमा के भीतर पाया गया।
- IS-10500 मानकों के अनुसार कुल घुलित ठोस पदार्थों की वांछनीय सीमा 500 mg/l है जबकि वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमेय सीमा 2000 mg/l है, इससे अधिक स्वादिष्टता कम हो जाती है और जठरांत्र संबंधी जलन पैदा कर सकती है। भूजल के नमूने से एकत्र किए गए the study area, भूजल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थ 242 मिलीग्राम/ली से 270 मिलीग्राम/ली तक भिन्न होते हैं जबकि सतही जल में 260 मिलीग्राम/लीटर से 265 मिलीग्राम/लीटर तक भिन्न होते हैं। नमूनों का टीडीएस वांछित सीमा के भीतर और 2000 मिलीग्राम/ली की अनुमेय सीमा के भीतर था।
- क्लोराइड के लिए वांछनीय सीमा आईएस-10500 मानकों के अनुसार 250 मिलीग्राम/ली है, जबकि इसकी अनुमेय सीमा 1000 मिलीग्राम/ली है इस सीमा से परे स्वाद, क्षरण और स्वादिष्टता प्रभावित होती है। अध्ययन क्षेत्र में एकत्रित भूजल नमूनों में क्लोराइड का स्तर १६.० मिलीग्राम/ली से लेकर अधिकतम २० मिलीग्राम/लीटर, सतही जल के नमूनों में १५.० मिलीग्राम/लीटर से १९.० मिलीग्राम/लीटर था। क्लोराइड के नमूने वांछनीय सीमा के भीतर हैं।
- कठोरता के लिए IS-10500:2012 मानकों के अनुसार वांछनीय सीमा 200 mg/l है, जबकि इसके लिए अनुमेय सीमा 600 mg/l है जो इस सीमा से अधिक जल आपूर्ति संरचना में अतिक्रमण और घरेलू उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव को देखा जाएगा। अध्ययन क्षेत्र से एकत्र किए गए भूजल के नमूनों में, कठोरता 174 मिलीग्राम/ली से 190 मिलीग्राम/ली तक भिन्न थी, जबकि सतही जल के नमूनों में 166 मिलीग्राम/लीटर से 172 मिलीग्राम/लीटर था।

- परिणाम बताते हैं कि भूजल आमतौर पर पेयजल मानकों (आईएस: 10500) के अनुरूप है और सतही जल आईएस-2296 मानकों के अनुरूप है।
- 2.7.5 शोर का स्तर
- प्रस्तावित खदान स्थल के आसपास के पांच स्थानों पर परिवेशी ध्वनि स्तरों को मापा गया। औसत लघुगणक रात के समय का आकलन Leq (Ln) 37.6 से 46.2 dB (A) से भिन्न होता है और औसत लघुगणक दिन के समय Leq (Ld) अध्ययन क्षेत्र के भीतर 47.6 से 51.3 dB (A) तक भिन्न होता है।
- 2.7.6 पारिस्थितिक पर्यावरण
- क्षेत्र अध्ययन और प्रकाशित साहित्य की समीक्षा के आधार पर, यह देखा गया है कि खदान पट्टा क्षेत्र के अध्ययन क्षेत्र में दो अनुसूची- I प्रजातियां मौजूद हैं यानी भारतीय तेंदुआ और एशियाई काला भालू। अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नहीं हैं।
- 2.7.7 सामाजिक वातावरण

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बागेश्वर की जनसंख्या 2,59,898 है। बागेश्वर जिले में कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 72,061 है जो कुल जनसंख्या का 27.72% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1982 है, जो कुल जनसंख्या का 0.76% है। बागेश्वर जिले में साक्षर जनसंख्या 1,79,483 है, जिसमें से पुरुष और महिला क्रमशः 97,546 और 81,937 हैं। पुरुष साक्षर 54.35% का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि महिलाएँ कुल जनसंख्या का 45.65% प्रतिनिधित्व करती हैं।

3.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव

3.1 वायु गुणवत्ता पर प्रभाव

सोपस्टोन खदान जहां पीएम10 और पीएम2.5 खनन गतिविधियों में उत्पन्न होने वाले मुख्य प्रदूषक होंगे। डीजल से चलने वाले उपकरणों और वाहनों की आवाजाही के कारण सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO2) के उत्सर्जन को ब्रांडेड मेक के रूप में मामूली माना गया और PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों का ही संचालन किया जाएगा। भगोड़ा धूल और कण खनन गतिविधियों में होने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं। मल्टीपल वाटर स्प्रिंकलर के उपयोग से भगोड़ा उत्सर्जन 70- 80% तक सुलझाया जाएगा। खनन गतिविधियों के कारण प्रस्तावित स्थल और अध्ययन क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में प्रस्तावित उत्पादन और PM10 और PM2.5 उत्सर्जन में शुद्ध वृद्धि के साथ वायु पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की भविष्यवाणी की जाएगी।

परिचालन खदान में वायु प्रदूषण के स्रोतों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था:

मैं। खनिज और ओबी, आईबी की लोडिंग और अनलोडिंग

ii. ढोना रोड पर परिवहन

3.2 जल संसाधनों पर प्रभाव

सतही जल संसाधन

प्रस्तावित समवर्ती सुधार को देखते हुए क्षेत्र की स्थलाकृति को बड़े पैमाने पर नहीं बदला जाएगा। खनन गतिविधि की अवधि के दौरान, वर्षा जल के साथ ताजा अशांत सामग्री के मिश्रण की संभावना है। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए, बैकफिल्ड गड्ढों के साथ-साथ मिट्टी और इंटरबर्डन डंप के साथ रिटेनिंग वॉल प्रदान की गई हैं।

भूजल संसाधन

पहाड़ियों में जल स्तर आमतौर पर बहुत गहरा होता है और इसका खनन गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि, मूल स्थलाकृति के समवर्ती बहाली से रिसने वाले पानी में बाधा नहीं आएगी।

3.3 जल गुणवत्ता पर प्रभाव

पानी की गुणवत्ता पर प्रभाव बारिश के दौरान बड़े हुए निलंबित ठोस तक ही सीमित रहेगा। डंप को पैर की दीवारों से सुरक्षित किया जाएगा और बरसात के पानी में महत्वपूर्ण निलंबित सामग्री नहीं होगी।

3.4 शोर के स्तर और जमीनी कंपन पर प्रभाव

खनन कार्यों के साथ, मशीनरी की तैनाती, खदान के विकास के लिए संचालन, सोपस्टोन और पुरुषों के उत्खनन और परिवहन के कारण, यह आवश्यक है कि शोर का स्तर बढ़े। औसत लघुगणक रात के समय का आकलन Leq (Ln) ३७.६ से ४६.२ dB (A) से भिन्न होता है और औसत लघुगणक दिन के समय Leq (Ld) अध्ययन क्षेत्र के भीतर ४७.६ से ५१.३ dB (A) तक भिन्न होता है। यह भी देखा गया है कि ये वृद्धिशील शोर स्तर मौजूदा परिवेशीय शोर स्तरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

3.5 मृदा पर प्रभाव

ऊपरी मिट्टी पर खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव ऊपरी मिट्टी को हटाने और उसके डंपिंग की मात्रा पर आधारित होते हैं। वर्तमान परियोजना में चूंकि ऊपरी मिट्टी को अस्थायी रूप से संग्रहीत करने और इसे वृक्षारोपण योजनाओं के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है, ऊपरी मिट्टी के दर्जनों के प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

वर्तमान परियोजना में ओवरबर्डन और इंटरबर्डन डंप से मिट्टी के कटाव की परिकल्पना नहीं की गई है, क्योंकि ईएमपी में विस्तृत रूप से पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

3.6 वनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव

पट्टे के कोर जोन क्षेत्र में कोई वन क्षेत्र नहीं है। चूंकि खनन गतिविधि कोर जोन तक ही सीमित है, सोपस्टोन के प्रस्तावित खनन के कारण बफर जोन की वनस्पतियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं है।

प्लांटेशन प्रोग्राम में अल्टरनेथेरा पैरोनीचियोइड्स, कैसिया तोरा और होलोप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया को शामिल करने का प्रस्ताव है क्योंकि वे गैसीय उत्सर्जन के लिए सिंक के रूप में काम करते हैं। प्रदूषक प्रतिरोधी पेड़ों से युक्त व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा, जो न केवल प्रदूषण सिंक के रूप में बल्कि शोर अवरोधक के रूप में भी काम करेगा।

खदान के पट्टे की सीमा पर खनन कार्यों के कारण बढ़ती धूल का उत्पादन नगण्य है और यह भी उम्मीद की जाती है कि ईएमपी में सुझाए गए शमन उपायों को अपनाने के साथ, खदान के संचालन का प्रभाव स्थलीय पर न्यूनतम होगा। पारिस्थितिकी तंत्र और निकटवर्ती वन क्षेत्र पर भी खनन गतिविधि के कारण बफर जोन के जीवों पर प्रभाव मामूली होगा। समय के साथ प्रस्तावित प्रगतिशील वृक्षारोपण जीवों पर प्रभाव, यदि कोई हो, को कम करेगा।

3.7 भूमि उपयोग पैटर्न पर प्रभाव

प्रस्तावित ओपनकास्ट खदान के परिणामस्वरूप एमएल क्षेत्र के भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन होगा। खनन गतिविधियों जैसे उत्खनन, ओवरबर्डन डंपिंग, मिट्टी की निकासी आदि के दौरान भूमि क्षरण की आशंका है। परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन कार्यात्मक जरूरतों को देखते हुए किया गया है।

3.8 सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रभाव

खदान क्षेत्र में कोई बस्ती शामिल नहीं है। इसलिए खनन गतिविधि में मानव बंदोबस्त का कोई विस्थापन शामिल नहीं है। पट्टा क्षेत्र के भीतर या आसपास कोई सार्वजनिक भवन, स्थान, स्मारक आदि मौजूद नहीं हैं। खनन कार्य किसी भी गांव को परेशान/स्थानांतरित नहीं करेगा या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी।

4.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरणीय शमन उपायों का सारांश तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5: प्रस्तावित पर्यावरणीय शमन उपाय

प्रभाव अनुमानित	सुझावात्मक उपाय
जंगली जीवों के मुक्त	• वन जीवन की संवेदनशीलता/महत्व के बारे में श्रमिकों को

आवागमन/जीवनयापन में बाधा	<p>जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> आरक्षित वन क्षेत्र में मजदूरों या वाहनों की आवाजाही के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनाई जानी चाहिए, इससे वन विखंडन, अतिक्रमण और मानव-पशु मुठभेड़ को रोका जा सकेगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अयस्क सामग्री ले जाने के लिए वाहनों की आवाजाही के दौरान उत्पन्न शोर अनुमेय शोर स्तर के भीतर हो। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मजदूरों द्वारा पशुओं का शिकार न किया जाए। यदि जंगली जानवर कोर जोन को पार करते हुए देखे जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। मजदूरों को भोजन, प्लास्टिक आदि को फेंकने की अनुमति नहीं होगी, जो मुख्य स्थल के पास जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं। अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। परियोजना स्थल क्षेत्र में अनुमत सभी वाहनों को तीन माह की समाप्ति पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000, सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमेय सीमा (दिन के समय में साइलेंट जोन -50 डीबी) के भीतर होगा।
वन वनस्पतियों की कटाई	<ul style="list-style-type: none"> पेड़ काटने, काटने, लकड़ी काटने, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों को उखाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आरक्षित वन क्षेत्र में अयस्क सामग्री की पिलिंग नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का संग्रह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

5.0 विकल्पों का विश्लेषण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किए गए भूवैज्ञानिक जांच और अन्वेषण के परिणाम के आधार पर सोपस्टोन की पहचान की गई है। खनन परियोजनाएं स्थल विशिष्ट हैं क्योंकि ऐसे वैकल्पिक स्थलों पर विचार नहीं किया गया था।

खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध-मशीनीकृत विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क की कठोर प्रकृति के कारण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित खदान आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों का उपयोग कर रही है।

6.0 लागत अनुमान

5 वर्षों के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए लागत, कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के लिए बजट (प्रति वर्ष) और सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों के वर्षवार आवंटन का विवरण में दिया गया है तालिका -6, तालिका 7 और तालिका 8 क्रमशः।

तालिका 6: पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजट

S. No.	Measures	Cost (In Rs.)
1.	दमन के लिए पानी का छिड़काव पर्यावरणीय निगरानी :	1,00,000
2.	(i) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (ii) परिवेशी शोर निगरानी (iii) जल गुणवत्ता नमूनाकरण और विश्लेषण (iv) मृदा गुणवत्ता	50,000
3.	नमूनाकरण और विश्लेषण हरित पट्टी के रखरखाव के साथ 11300 वृक्षारोपण	11,30,000
4.	दीवार को बनाए रखने की लागत	63,000
Total		13,43,000

तालिका 7: कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के लिए बजट (प्रति वर्ष)

S. No.	Measures	Cost (In Rs.) (per year)
1.	शौचालय की सुविधा	50,000

2.	ग्रामीणों के लिए कौशल विकास	70,000
3.	फसल और चारे की उपज बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को किया जागरूक	1,00,000
4.	सामुदायिक क्षेत्रों/विद्यालयों और आसपास के गांवों की वन पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण	80,000
Total		3,00,000

तालिका 8: सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों का वर्षवार आवंटन

S. No.	Activities	Allocation of Fund (Rs.)
1	स्वास्थ्य शिविर	70,000
2	पेयजल सुविधाएं	50,000
3	फुट ट्रैक का रखरखाव	70,000
4	मंदिर निर्माण के लिए दान	40,000
5	आसपास के क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए दान	70,000
Total		3,00,000

- 7.0 अतिरिक्त अध्ययन
- 7.1 जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना
 - खनन प्रबंधक का सक्षमता प्रमाण पत्र रखने वाले एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन के तहत पूरा खनन कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, खनन कर्मचारियों को अद्यतन रखने के लिए समय-समय पर पुनर्शर्यापाठ्यक्रमों में भेजा जाएगा।
- 7.2 आपदा प्रबंधन योजना
 - आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में आपातकालीन तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर्मियों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और सावधानीपूर्वक नियोजित, नकली प्रक्रियाओं के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाएगा। इसी तरह, प्रमुख कर्मियों और आवश्यक कर्मियों को संचालन में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 8.0 सार्वजनिक परामर्श
- 8.1 जन सुनवाई
 - 14 सितंबर 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुरूप, जन सुनवाई से संबंधित धारा 1 (ए) के तहत, ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा जन सुनवाई के लिए उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूडीपीसीबी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

-
- 9.0 परियोजना लाभ
- खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आसपास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध होंगी।
- रोजगार और बेहतर जीवन स्तर;
- राँयलटी, करों और शुल्कों के माध्यम से राज्य को राजस्व में वृद्धि; तथा
- सुपीरियर संचार और परिवहन सुविधाएं आदि।

परियोजना के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के रोजगार से क्षेत्र की समृद्धि में वृद्धि होगी।

10.0 निष्कर्ष

- खनन कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे;
- सामुदायिक प्रभाव लाभकारी होंगे, क्योंकि परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी;
- अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना; तथा
- खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।